प्रेस नोट

दिनांक 23.03.2024

जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 03 व थाना धानेपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.03.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 114/23, धारा 363,366, 376(3),506 भादवि व 3एल/6 पाॅक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शेषमन यादव को गिन्नी नगर चौराहे से अल्लीपुर जाने वाली सड़क मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2023 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी शेषमन यादव बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त शेषमन यादव को थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.03.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शेषमन यादव पुत्र गंगाराम यादव नि0 नरहरपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0-114/23, धारा 363,366,376(3),506 भादवि व 3एल/6 पाॅक्सो ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 खोड़ारे मनोज कुमार पाठक।
02. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
03. का0 अमरजीत गोस्वामी।
04. का0 कुलदीप कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत थाना छपिया व तरबगंज की पुलिस बल द्वारा अर्धसैनिक बल (CISF, SSB) के साथ विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना छपिया व थाना तरबगंज की पुलिस बल द्वारा आगामी त्योहारों होलिका दहन, होली, गुडफ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी, प्रचलित रमजान माह व लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बलों (CISF, SSB) के साथ थानों के विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों/कस्बों में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी त्योहारों होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनाव में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।